न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-376RAAJodhpur2024-201RTA225 Gajendrasingh Vs State of Rajasthan

गजेन्द्रसिंह उर्फ गजेसिंह पुत्र स्व. श्री देवीलाल जी, जाति गहलोत, निवासी- बड़ला वाला बेरा, मण्डोर, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 26 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या सी/30/2024 गजेन्द्रसिंह उर्फ गजेसिंह बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित-

श्री जे. गहलोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

नि र्ण य

दिनांक : 10 जनवरी 2025

अपीलांट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या सी/30/2024 अनवान गजेन्द्रसिंह उर्फ गजेसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 29 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी प्रस्तुत कर अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 15.04.2010 एवं माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मण्डल के निर्णय दिनांक 02.3.2023 की पालना में वादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26 जुलाई 2024 के जरिये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष न तो किसी पक्षकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया तथा न ही स्थगन का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये विवादित भूमि के 1/74 हिस्से के रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया। मामला माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहते योगेश का स्वर्गवास हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट गजेन्द्रसिंह रेखा का पति है, उसके जीवित रहते उसकी पत्नी व बच्चो को कोई अधिकार पैतृक संपति में उत्पन्न नहीं होते है। ऐसी स्थिति में राजस्व वाद पोषणीय नहीं था तो उक्त वाद में रेखा के बच्चों के नाम म्यूटेशन किये जाने का आदेश ही विधि में सस्टेनेबल नहीं था, इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। चूंकि अपीलांट गजेन्द्र एवं रेखा का विवाह विच्छेद दिनांक 02.12.2021 को पारिवारिक न्यायालय संख्या दो जोधपुर द्वारा डिक्री पारित कर हो गया है। ऐसी स्थिति में रेखा विधि अनुसार अपीलांट की पत्नी ही नही रही है तो वादग्रस्त आराजी में रेखा का कोई हक व अधिकार न पहले था तथा न ही अब है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2008 डीएनजे(एससी) 364, ए.आई.आर. 2010 कर्नाटका 27 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का प्रकरण में परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अदालत हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा स्पष्ट अंकित नहीं होने के आधार पर दिनांक 15 अप्रैल 2010 को अपील संख्या 2009/40 अनवान ज्ञानसिंह बनाम श्रीमती रेखा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर उभय पक्ष को पुनः नये सिरे से अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये है। अदालत हाजा विचारण न्यायालय के इस मत से सहमत है कि **''वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद के विचाराधीन रहते भविष्य में वाद बहुलता न बढे, इसलिए वादीगण के संभावित 1/74 हिस्से को संरक्षित किया जाना न्यायोचित है।''** इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र मूल राजस्व वाद की कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया है, किंतु आलौच्य अपील में मूल वाद के सभी पक्षकारान् को अपील में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जिससे अपील नॉन-जॉइंडर ऑफ नेशेसरी पार्टी के दोष से ग्रसित होना पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या सी/30/2024 अनवान गजेन्द्रसिंह उर्फ गजेसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 26 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर